13

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 10/2016 (RCMS No. 2016/00229) अनवान् 1. सीता देवी पत्नि श्री प्यारेलाल शर्मा, आयु 65 वर्ष 2. प्यारेलाल शर्मा पुत्र लीलूराम आयु 70 वर्ष जाति ब्राह्मण, निवासी 260 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर बनाम 1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपखण्ड मजिस्ट्रेट (अधिकरण), श्रीगंगानगर 2. अजय शर्मा पुत्र श्री प्यारेलाल शर्मा 3. शालिनी शर्मा पत्नि श्री अजय शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 260 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर

02.03.2020

अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपीलार्थी/प्रार्थी ओमप्रकाश ने माता पिता एंवं वरिष्ठ नागरिक का भारण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2016 को अप्रार्थी अजय शर्मा एवं शालिन शर्मा के विरूद्ध पेश करके प्रार्थना की थी कि अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाकर प्रार्थीगण की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जावे एवं अप्रार्थीगण को मकान नम्बर 260 विनोबा बस्ती से बेदखल किया जावे तथा मकान संख्या 38 महावीर इण्टरनेशनल कॉलानी, श्रीगंगानगर की रजिस्ट्री खारिज करवाई जावे और किराया 15000/– मासिक प्रार्थीगण को दिलाया जावे। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से 20,000/– रूपये मासिक भरण पोषण दिलवाया जाने की प्रार्थना की थी। जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने दिनांक 03.08.2016 को आदेश पारित किया था, जिसकी अप्रसन्नता से प्रार्थीगण ने यह अपील पेश की और उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03.08.2016 को अपास्त करने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी/प्रार्थी अजय शर्मा जो कि अपीलार्थी की संतान है, ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट पेश की, जिसमें दिनांक 10.11.2016 को स्टे आदेश पारित किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिनांक 05.09.2017 को अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट ने समझौतानामा पेश किया। इस कार्यालय के पत्रांक 1364 दिनांक 06.11.19 एवं 281/13.02.2020 से उक्त स्टे आदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत करवाने हेतु लिखा गया। जिस पर अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र 676 दिनांक 18.02.2020 के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2018 की प्रति पेश की, जिसके अनुसार स्टे प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

चूंकि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा उक्त स्टे प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 05.09.2017 को एक समझौतानामा पेश किया जा हुआ है, उसमें उनके द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि वे इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः इसी स्टेज पर उनकी अपील को खारिज कर दिया जावे।

चूंकि अपीलार्थी का आपस में राजीनामा को चुका है और अब वह इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः इसी अधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश प्रति सहित पालनार्थ लौटाया जावे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर